

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1322  
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की कमी के कारण होने वाली बीमारी

1322. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में रजस्वला महिलाओं की संख्या का डेटा है जिनकी मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच बनी हुई है;
- (ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार के पास 2023 में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की कमी के कारण होने वाली बीमारी का डेटा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): ग्रामीण क्षेत्रों में रजस्वला महिलाओं, जिनकी मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता उत्पादों तक निरंतर पहुंच है, से संबंधित आंकड़े और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की कमी के कारण होने वाली बीमारियों के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) से पता चलता है कि मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा हेतु स्वच्छ पद्धति का उपयोग करने वाली 15-24 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) में 57.6% से बढ़कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में 77.3% हो गया है। इसी तरह, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग भी 42% से बढ़कर 64% हो गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10-19 वर्ष के आयु वर्ग की सभी किशोरियों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत "मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन योजना" कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता पर किशोरियों के बीच जागरूकता बढ़ाना, किशोरियों हेतु उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन और इसके उपयोग में वृद्धि करना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है।

आशा कार्यकर्ता इस योजना को बढ़ावा देती हैं और 6 नैपकिन के पैक के लिए 6/- रुपये की रियायती दर पर सैनिटरी नैपकिन पैक वितरित करती हैं और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सहित विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने क्षेत्र में किशोरियों के साथ मासिक बैठकों की व्यवस्था करती हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, सरकार ने सस्ती कीमतों पर मासिक धर्म स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के लिए 1/- रुपये प्रति पैड पर जन औषधि सुविधा स्वच्छता नैपकिन लॉन्च किया है।

\*\*\*\*\*